

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. भा.नि.आ./प्रेस नोट/41/2017

दिनांक: 17 मई, 2017

प्रेस नोट

निर्वाचन जोखिम प्रबंधन साधनों पर कार्यशाला

ईआरएमटी पर विचार विनियम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए और भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी एकत्रित होते हैं।



माननीय आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ईआरएमटी कार्यशाला में

भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गयी कार्यनीतिक योजना (2016-2025) के तहत निर्वाचन जोखिम प्रबंधन पर कार्यान्वयन के लिए अपने 15वें स्तंभ के रूप में विचार किया जिसके लिए आयोग द्वारा गठित एक समिति ने एक निर्वाचन जोखिम प्रबंधन मैनुअल का प्रारूप तैयार किया। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के अतिरिक्त, आईआईआईडीईएम ने 15 मई, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए से प्रतिनिधियों और भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत निर्वाचन आयोग परिसर में एक एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी, चयनित मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए के श्री अघी अमन और श्री सीड अलीहोज़िक ने कार्यशाला में भाग लिया।

कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त डा. नसीम जैदी ने कहा कि जोखिम प्रबंधन साधन स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन में सहायक होते हैं। यह निर्वाचन प्रबंधन प्रक्रिया में लोगों की आस्था और विश्वास को सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि ईआरएम मैनुअल में उल्लिखित निर्वाचन प्रबंधन में लगभग 180 अभिज्ञात जोखिमों के साथ, अब उपयुक्त निर्धारण और न्यूनीकरण के लिए जोखिमों का सावधानी से अध्ययन करना महत्वपूर्ण है ताकि जोखिमों या आने वाले नए जोखिमों को तदनुसार निपटाया जा सके।

डा. ज़ैदी ने आईआईआईडीईएम को वार्षिक कार्य योजना में निर्वाचन जोखिम प्रबंधन, जिसमें बेसिक स्तर पर भी सभी अधिकारियों के लिए प्रचलित प्रशिक्षण संचालित किया जाता है, पर लक्षित पाठ्यक्रमों को शामिल करने

की सलाह दी। इन्हें संसद या विधान सभा निर्वाचनों से ठीक पहले आयोजित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्वाचन के संचालन में शामिल सभी कर्मचारी उपयुक्त और समयबद्ध ढंग में निर्वाचन जोखिमों से परिचित हैं।

आईआईआईडीईएम द्वारा उठाई गई पहल का स्वागत करते हुए, निर्वाचन आयुक्त श्री ओ पी रावत ने कहा “चूंकि निर्वाचनों में जोखिम प्रबंधन निरंतर विकसित हो रहा है; इसलिए जोखिमों की कल्पना करना भी एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए”। उन्होंने विस्तार में कहा कि “निर्वाचन प्रबंधन के दौरान कहीं भी छोटी सही छोटी चूक बड़े विध्वंस की ओर ले जा सकती है, इसलिए ऐसे साधनों, जो निर्वाचन प्रबंधन में भावी जोखिमों को न्यूनतम करने में मदद कर सकें, को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

अपने भाषण में निर्वाचन आयुक्त श्री ए.के. ज्योति ने सराहना की कि भारत ने सफलतापूर्वक निर्वाचनों के संचालन में 67 वर्ष की यात्रा पूरी कर ली है। 67 वर्ष की इस यात्रा के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने एक पारदर्शी निकाय के रूप में स्वयं को वैश्विक रूप से स्थापित किया है जिसमें किसी भी मतदाता को पीछे नहीं छोड़ा जाता है। तथापि प्रौद्योगिकी को अपनाने और जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए नवोन्मिषी विधियों का पालन करना अनिवार्य है क्योंकि राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, मीडिया और सिविल सोसायटी इत्यादि जैसे हितधारकों की बड़ी संख्या इसमें सम्मिलित होती है। उन्होंने मैनुअल प्रारूप समिति और अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए की उन विभिन्न जोखिमों, जो भारत निर्वाचन प्रबंधन के लिए खतरा पैदा करते हैं, को एकत्रित करते हुए ईआरएम मैनुअल को प्रकशित करने में उनके प्रयासों के लिए बधाई दी।

बाद में, श्री अघी अमन और श्री सीड अलीहाज़कि ने इस बारे में बताया कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए ने 2009 में ईआरएम साधन को विकसित करने का अपना कार्य शुरू किया परंतु जिसे औपचारिक रूप से 2013 में प्रवर्तित किया गया। उन्होंने बताया कि यह साधन जेनेरिक होते हुए भी कस्टमाइज़ेबल है। अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए, भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से, उपयुक्त निर्वाचन जोखिम प्रबंधन के लिए साधनों को और आगे विकसित करना चाहत है। यह इंगित किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए से बाहर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित ईआरएम मैनुअल ईआरएम पर पहला दस्तावेज है और इसे बदलने में विश्व के अन्य ईएमबी को एक लम्बा रास्ता तय करना होगा।

श्री सीबी प्रसाद, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली ने भारत निर्वाचन आयोग और श्री उमेश सिंहा उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा तैयार किए गए ईआरएम मैनुअल पर प्रस्तुतीकरण दिया। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक निर्वाचन से पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए संवेदनशीलता अभ्यास पर प्रस्तुतीकरण दिया। भागीदारों ने अपनी अपनी जानकारियों द्वारा बहुमूल्य योगदान दिया। ईआरएम को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए उपयुक्त आइटी साधनों का सृजन करने के लिए मैनुअल में दी गई सिफारिशों की और भागीदारों का ध्यान आकर्षित किया गया जिसके लिए श्री सीड ने भारत निर्वाचन आयोग के इच्छुक होने की स्थिति में, उनके ईआएएमटी श्रोत कोड की मुफ्त में साझेदारी का प्रस्ताव रखा। भारत निर्वाचन आयोग आवश्यकतानुसार स्थानीय आवश्यकताओं के लिए साधन को कस्टमाइज़ कर सकता है। उन्होंने कस्टमाइज़ेशन को आगे ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए मुख्यालय में विशेषज्ञों के एक दल की प्रशिक्षित करने का भी प्रस्ताव रखा।

कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोआ और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने भी कार्यशाला में भाग लिया और निर्वाचनों के जोखिम प्रबंधन के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक विचारों की साझेदारी की।

धरेन्द्र ओझा
निदेशक